न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 47 / 2022

1 बीरबल पुत्र मामराज जाति जाट निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 बरजी देवी पत्नी खेमचन्द
2 धर्मवीर पुत्र स्व. खेमचन्द
3 सुनील पुत्र स्व. खेमचन्द
4 सरोज पुत्री स्व. खेमचन्द
5 श्रीमती मनोज पुत्री स्व. खेमचन्द
6 श्रीमती प्रमोद पुत्री स्व. खेमचन्द
7 सुमन पुत्री स्व. खेमचन्द
8 सुनिता पुत्री स्व. खेमचन्द
जाति समस्त जाट निवासीगण टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
9 चन्दगीराम पुत्र सोहन जाति जाट निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
10 सहीराम भाकर पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी डूडियो की ढाणी तन भोड़की हाल आबाद टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
11 रामधन पुत्र सोहनराम जाति जाट निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
12 श्रीमती सरोज देवी पत्नी महेश कुमार जाति जाट निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
13 कमला पुत्री सोहनराम जाति जाट निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
14 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज. मुकदमा उनवानी
बीरबल बनाम खेमचन्द प्रार्थना पत्र अ.आदेश 09
नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. मुकदमा नम्बर
202/2017 तारीख निर्णय दिनांक 29.03.2022

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविराज, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 22.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 202/2017 में पारित निर्णय दिनांक 29.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अ. आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत भूमि खाता संख्या 127 के खसरा नम्बर 586, 587, 588 वाके ग्राम टोडी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1956 भाग द्वितीय के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की है। निर्णय जैर बहस ऑर्डरशीट पर लिखा गया है। कानून से ऑर्डरशीट पर निर्णय नहीं लिखा जा सकता। निर्णय जैर बहस में पक्षकारान के नाम व पता दर्ज नहीं है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने दौराने सुनवाई रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/8 के पूर्वज खेमचन्द का देहान्त होने पर संशोधित उनवान रिकार्ड पर लिए बिना ही निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय के यहां दावा अपीलान्ट के पिता मामराज के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट के पिता मामराज का देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट के पिता मामराज की विचारण न्यायालय ने दावा में तामील नहीं करवाई। अपीलान्ट के पिता की तामील का सम्मन अथवा किसी रजिस्टर्ड डाक की रसीद इत्यादि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर नहीं है। अपीलान्ट के पिता की तरफ से विचारण न्यायालय के यहां दावा में कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुआ है तथा अपीलान्ट के पिता भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुये। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के आदेशिका दिनांक 13.05.2013 को आधार मानकर निर्णय पारित करने में गलती की है। विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना को अनदेखा किया है। अपीलान्ट के पिता को विचारण न्यायालय ने सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया। कानून से पर्याप्त तामील के अभाव में पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाना आवश्यक होता है। विचारण न्यायालय ने दीवानी प्रकिया संहिता के प्रावधानों को नजरअंदाज किया है। विचारण न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 13.05.2013 को निर्णय कर प्राथमिक डिक्री पारित की है और दिनांक 17.09.2013 को अंतिम डिक्री पारित की गई। अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व भी अपीलान्ट के पिता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार निर्णय व प्राथमिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री जैर बहस खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर मौजुद साक्ष्य को नजरअंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। विचारण न्यायालय ने सहमति के आधार पर निर्णय पारित करने के आधार गलत दर्ज किये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2002 आरजे पेज 416 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी, एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दावा संख्या 417/2012 में अपीलांट का पिता मामराज प्रतिवादी संख्या 1 था। दावा संख्या 417/2012 की आदेशिका दिनांक 13.05.2013 में उभयपक्षकारान की सहमति से प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। इस वाद में मामराज के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। इस प्राथमिक डिक्री को मामराज ने कभी चुनौती भी नहीं दी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 09 नियम 13 खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दावा संख्या 417/2012 में अपीलांट का पिता मामराज प्रतिवादी संख्या 1 था। दावा संख्या 417/2012 की आदेशिका दिनांक 13.05.2013 में उभयपक्षकारान की सहमति से प्राथमिक डिक्री पारित की जाने का अंकन है। इस वाद में मामराज के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। इस प्राथमिक डिक्री को मामराज ने कभी चुनौती भी नहीं दी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 09 नियम 13 खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर